निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 25/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री कल्याण सहाय करोल, प्रवर्तन अधिकारी, आमेर।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स श्रीश्याम कैफे जरिये लेखराज पुत्र श्री रामपाल, निम्स दिल्ली रोड, चंदवाजी, आमेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 01 बीपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 9.4 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री जयप्रकाश बडसरा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से है।

निर्णय | दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस के अवैध भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण के दिनांक **07.06.2024 को मैसर्स श्रीश्याम कैफे, निम्स दिल्ली रोड, चंदवाजी, आमेर पर श्री लेखराज पुत्र श्री रामपाल की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर 01 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय क्षमता 14.2 किलोग्राम का पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से चाय बनाने के उपयोग में लिया जा रहा है।** जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के **आदेश दिनांक 08.08.2024** को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। **अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जयप्रकाश बडसरा ने वकालतनामा पेश किया।**
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **मैसर्स श्रीश्याम कैफे, निम्स दिल्ली रोड, चंदवाजी, आमेर पर श्री लेखराज पुत्र श्री रामपाल की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर कुल 01 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय क्षमता 14.2 किलोग्राम का पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से ग्राहको के लिये चाय बनाई जा रही थी। मौके पर मैसर्स श्रीबालाजी भारत गैस** ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि श्री कानाराम पुत्र श्री **जगदीश प्रसाद को बुला कर तौल कराया**

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

गया। **तौल कराने पर गैस सिलेण्डर में कुल 9.4 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई।** मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के कनेक्शन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 07.06.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर **01 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 9.4 किलोग्राम पाया गया।** अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय की जा रही थी। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से ग्राहको को उपलब्ध कराने के लिये चाय बनाते पाया गया है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त **01 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 9.4 किलोग्राम** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 08.08.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर, जिला जयपुर (ग्रामीण)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर

जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner